प्रेषक,

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, गाजियाबाद।

सेवा में,

उपनिदेशक,
जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक,
लोहिया भवन, अलीगंज,
उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

पत्रांक– 466/कर0वि0/जि0पं0गा0/2024–25 दिनांक– 12-12-2024

विषय–जिला पंचायत, गाजियाबाद में लागू/प्रभावी लाईसेंस उपविधि की सत्यापित कापी प्रेषण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि आप द्वारा जिला पंचायत, गाजियाबाद में लागू/प्रभावी लाईसेंस उपविधि की सत्यापित कापी चाही गयी है।

उक्त के अनुपालन में जिला पंचायत गाजियाबाद में लागू/प्रभावी लाईसेंस उपविधि की सत्यापित कापी पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

12.12.2024

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, गाजियाबाद।

रजिस्टर्ड नं०-ए०डी०-4
लाइसेन्स सं०-डब्लू०पी०-41
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

इलाहाबाद, शनिवार, 15 अक्टूबर, 2011 ई० (आश्विन 23, 1933 शक संवत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, खण्ड-क—नगरपालिका परिषद्, खण्ड-ख—नगर पंचायत, खण्ड-ग—निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड-घ—जिला पंचायत।

खण्ड-घ—जिला पंचायत

26 सितम्बर, 2011 ई०

सं0 1409 / 23-47 / 2002-04—उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 239(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत, गाजियाबाद ने जनपद गाजियाबाद के ग्रामीण क्षेत्रान्तर्गत कार्यरत समस्त प्रकार के कारखानों, व्यवसाय तथा दुकानात आदि को नियंत्रित एवं विनियमित करने हेतु उपविधियां बनायी है, जो विज्ञप्ति संख्या 1015 / 23-47 / 02-04, दिनांक 20 सितम्बर, 2004 द्वारा स्वीकृत होकर उत्तर प्रदेश शासकीय गजट दिनांक 23 अक्टूबर, 2004 में प्रकाशित होकर जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी है। जिला पंचायत, गाजियाबाद द्वारा उक्त उपविधि की धारा 44 में उल्लिखित लाइसेन्स शुल्क / नवीनीकरण शुल्क की दरों को संशोधित करते हुए संशोधित उपविधि बनायी गयी है, जिनकी मैं, भुवनेश कुमार, आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ उक्त अधिनियम की धारा 242(2) के अन्तर्गत पुष्टि करता हूं, जो शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी।

उपविधियां

धारा 44—कारखानों, व्यवसाय, दुकानों, संग्रह केन्द्रों एवं संस्थाओं आदि को अनुज्ञा-पत्र प्राप्त करने हेतु निम्नानुसार प्रतिवर्ष लाइसेन्स शुल्क / नवीनीकरण शुल्क देय होगा—

क्र0सं0	मद / व्यवसाय / कारखाने का नाम	वर्तमान प्रभावी दरें	प्रस्तावित संशोधित दरें
1	2	3	4
		रु0	रु0
1	चीनी मिल	20,000.00	50,000.00
2	क्रेशर हाईड्रोलिक सल्फीटेशन	3,000.00	3,500.00
3	क्रेशर नान हाईड्रोलिक सल्फीटेशन	2,500.00	3,500.00
4	क्रेशर नान हाईड्रोलिक नान सल्फीटेशन	1,000.00	2000.00
5	शक्ति चालित गन्ना पेरने का कोल्हू	200.00	300.00
6	शक्ति चालित केन्द्रापग (खाण्ड मशीन)	500.00	700.00

छाया प्रति प्रमाणित
12.12.2024
अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत गाजियाबाद।

1	2	3	4
		रु0	रु0
7	हस्त चालित केन्द्रापग (खाण्ड मशीन)	150.00	200.00
8	उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग कर रहा क्रिस्टीलाइजर	200.00	300.00
9	धान कूटने का मिल (राइस सेलर)	2,000.00	2,500.00
10	एक्सपेलर	400.00	500.00
11	आरा मशीन	1,000.00	1,500.00
12	खराद मशीन	700.00	1,000.00
13	पावर लूम (प्रत्येक)	800.00	1,000.00
14	रेशम व कपड़ा बनाने का कारखाना	3,000.00	4,000.00
15	सरिया बनाने का कारखाना	7,000.00	10,000.00
16	लोहा बनाने का कारखाना (प्रति भट्टी)	3,000.00	5,000.00
17	बर्फ बनाने का कारखाना (200 सिल्ली तक)	2,000.00	2,500.00
18	बर्फ बनाने का कारखाना (उपरोक्त से अधिक)	3,000.00	4,000.00
19	गत्ता बनाने का कारखाना (बड़ा)	5,000.00	7,000.00
20	पेपरकोन का कारखाना	3,000.00	4,000.00
21	पेपर रोल बनाने का कारखाना	3,000.00	7,000.00
22	कागज बनाने का कारखाना (10 टन क्षमता तक)	6,000.00	10,000.00
23	कागज बनाने का कारखाना (10 टन से अधिक 20 टन क्षमता तक)	7,000.00	15,000.00
24	कागज बनाने का कारखाना (20 टन से अधिक 30 टन क्षमता तक)	10,000.00	30,000.00
25	कागज बनाने का कारखाना (30 टन क्षमता से तक)	15,000.00	50,000.00
26	दूध का पाउडर या दूध से अन्य पदार्थ बनाने का कारखाना	5,000.00	10,000.00
27	चिलिंग प्लान्ट	5,000.00	7,000.00
28	स्टील, आयरन आदि से पाइप बनाने का कारखाना (2" मोटाई तक)	10,000.00	20,000.00
29	स्टील, आयरन आदि से पाइप बनाने का कारखाना (2" मोटाई से अधिक)	20,000.00	50,000.00
30	मशीन या यंत्र बनाने का कारखाना	3,000.00	4,000.00
31	फल, सब्जियां एवं खाद्य पदार्थ सुरक्षित रखने का कारखाना (कोल्ड स्टोरेज 50 हजार बैग तक)	5,000.00	7,000.00
32	फल, सब्जियां एव खाद्य पदार्थ सुरक्षित रखने का कारखाना (कोल्ड स्टोरेज 50 हजार बैग से अधिक क्षमता पर)	8,000.00	10,000.00

छाया प्रति प्रमाणित
12.12.2024
अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत गाजियाबाद।

1	2	3	4
		रु0	रु0
33	पिक्चर ट्यूब बनाने का कारखाना	4,000.00	5,000.00
34	हाटमिक्स प्लांट	4,000.00	7,000.00
35	रबड़ की वस्तुएं बनाने का कारखाना	1,000.00	1,500.00
36	चीनी मिट्टी के बर्तन या टाइल्स बनाने का छोटा कारखाना	1,000.00	1,500.00
37	चीनी मिट्टी के बर्तन या टाइल्स बनाने का बड़ा कारखाना	4,000.00	5,000.00
38	मसाले की ईंट आदि बनाने का कारखाना (सिरेमिक्स)	5,000.00	7,000.00
39	पीतल, एल्यूमिनियम, स्टील, शीशा, तांबा व टीन आदि से वस्तुएं बनाना	2,000.00	3,000.00
40	वनस्पति / देशी घी या रिफाइण्ड आयल बनानें का कारखाना	5,000.00	10,000.00
41	शराब, स्प्रिट या एल्कोहल बनाने का कारखाना	25,000.00	50,000.00
42	कृषि सम्बन्धी यंत्र बनाने का कारखाना	2,500.00	3,500.00
43	फर्टीलाइजर या कीटनाशक दवाई बनाने का कारखाना	5,000.00	7,000.00
44	खाण्डसारी उद्योग के यंत्र बनाने का कारखाना	3,000.00	4,000.00
45	प्लास्टिक का दाना, फिल्म या बैग बनाने का कारखाना	2,000.00	3,000.00
46	प्लास्टिक के पाइप, टैंक आदि बनाने का कारखाना	4,000.00	5,000.00
47	विजली के सामान बनाने का कारखाना	2,000.00	3,000.00
48	कपड़ा, कम्बल आदि की रंगाई / छपाई या फिनिशिंग का कारखाना (छोटा)	1,000.00	1,500.00
49	कपड़ा, कम्बल आदि की रंगाई / छपाई या फिनिशिंग का कारखाना (बड़ा)	3,000.00	7,000.00
50	सीमेन्ट बनाने का कारखाना	4,000.00	7,000.00
51	फ्लोर मिल	4,000.00	7,000.00
52	दाल मिल	2,000.00	3,000.00
53	रिईनफोर्स्ड, सीमेन्ट व कंक्रीट आदि से ह्यूम पाइप बनाने का कारखाना	5,000.00	8,000.00
54	टेलीविजन बनाने का कारखाना	4,000.00	5,000.00
55	माचिस बनाने का कारखाना	3,000.00	4,000.00
56	बटन बनाने का कारखाना	3,000.00	4,000.00
57	मोमबत्ती बनाने का कारखाना	2,500.00	3,000.00
58	विनियर एण्ड शॉ मिल	3,000.00	5,000.00
59	पेय पदार्थ बनाने का कारखाना	10,000.00	50,000.00

सत्य प्रतिलिपि

12.12.2024

1	2	3	4
		रु0	रु0
60	मिनरल वाटर बनाने का कारखाना	5,000.00	7,000.00
61	शॉकिट बनाने का कारखाना	3,000.00	4,000.00
62	प्लाईवुड या माईका बनाने का कारखाना	4,000.00	5,000.00
63	दवाई बनाने का कारखाना	3,000.00	5,000.00
64	गत्ते के डिब्बे बनाने का कारखाना	1,200.00	1,500.00
65	लैमिनेशन का कारखाना	3,000.00	3,500.00
66	दूध पैकेजिंग का कारखाना	3,000.00	5,000.00
67	केमिकल्स बनाने का कारखाना	5,000.00	7,000.00
68	डबल रोटी या बिस्कुट बनाने का कारखाना	3,000.00	4,000.00
69	गैस आदि बनाने का कारखाना	3,000.00	4,000.00
70	गैस के सिलेण्डर बनाने का कारखाना	5,000.00	7,000.00
71	बेल्डिंग रॉड्स बनाने का कारखाना	4,000.00	5,000.00
72	पीतल की रॉड्स बनाने का कारखाना	4,000.00	5,000.00
73	ढलाई करने का कारखाना	4,000.00	5,000.00
74	स्टील अलमारी, बक्से, मेज आदि बनाने का कारखाना	4,000.00	5,000.00
75	पशु आहार बनाने का कारखाना	3,000.00	4,000.00
76	धागा बनाने का कारखाना	3,000.00	4,000.00
77	धागा डबलिंग का कारखाना	3,000.00	7,000.00
78	दरी, कालीन आदि बनाने का कारखाना	5,000.00	7,000.00
79	साबुन बनाने का कारखाना	1,000.00	1,500.00
80	डिटर्जेन्ट बनाने का कारखाना	4,000.00	5,000.00
81	पट्टा बनाने का कारखाना	2,000.00	2,500.00
82	कमानी पट्टा बनाने का कारखाना	4,000.00	5,000.00
83	रबड़ के टायर ट्यूब बनाने का कारखाना	7,000.00	15,000.00
84	टायर रिट्रेडिंग	3,000.00	4,000.00
85	तिरपाल बनाने का कारखाना	4,000.00	10,000.00
86	आतिशबाजी सम्बन्धी सामान बनाने का कारखाना	4,000.00	10,000.00

द्वारा प्रतिप्रमाणित
12.12.2024
अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत गाजियाबाद।

1	2	3	4
		रु0	रु0
87	ग्रीश, मोबिल आयल, काला तेल आदि बनाने का कारखाना	3,000.00	4,000.00
88	चार पहिया वाहन बनाने का कारखाना	25,000.00	50,000.00
89	दो पहिया वाहन बनाने का कारखाना	10,000.00	25,000.00
90	तार बनाने का कारखाना	5,000.00	10,000.00
91	तार की जाली बनाने का कारख़ाना	2,000.00	2,500.00
92	लालटेन बनाने का कारखाना	3,000.00	4,000.00
93	रेगमाल बनाने का कारखाना	3,000.00	4,000.00
94	बैट्री बनाने का कारखाना	3,000.00	4,000.00
95	पंखा या कूलर बनाने का कारखाना	3,000.00	4,000.00
96	रंग बनाने का कारखाना	4,000.00	5,000.00
97	गम, टेप बनाने का कारखाना	3,000.00	4,000.00
98	आटो मोटर्स बनाने का कारखाना	4,000.00	5,000.00
99	निकिल पालिस (प्लेटिंग) करने का कारखाना	3,000.00	4,000.00
100	रांग बनाने का कारखाना	3,000.00	4,000.00
101	गैस चूल्हा या उसके पार्ट्स बनाने का कारखाना	4,000.00	5,000.00
102	हड्डी मिल	7,000.00	20,000.00
103	सरेश मिल	4,000.00	5,000.00
104	पेट्रोल मिल	3,000.00	4,000.00
105	डीजल पम्प	3,000.00	4,000.00
106	गैस बाटलिंग प्लांट	15,000.00	50,000.00
107	सादा या काला नमक बनाने का कारखाना	1,000.00	1,500.00
108	प्रिंटिंग प्रेस या आफसेट प्रेस	1,500.00	2,000.00
109	सिनेमा हाल	3,000.00	4,000.00
110	विडियो सिनेमा हाल	2,200.00	2,500.00
111	उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य कारखाना (कुटीर उद्योग)	2,500.00	3,000.00
112	उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य कारखाना (लघु उद्योग)	4,000.00	5,000.00
113	उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य कारखाना (वृहत् उद्योग)	10,000.00	15,000.00
114	अन्य व्यवसाय/संस्थाएं/गोदाम जो उपरोक्त वर्गीकरण में नही आते	5,000.00	7,000.00
115	इमारती लोहे की सामान की दुकान (बड़ी)	500.00	2,000.00
116	सीमेंट या खाद की दुकान	500.00	1,000.00

भुवनेश कुमार,
आयुक्त,
मेरठ मण्डल, मेरठ।

छाया प्रति प्रमाणित
12.12.2024
अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत गाजियाबाद।

पी0एस0यू0पी0–29 हिन्दी गजट–भाग 3–2011 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

1	2	3	4	5
			रु0	रु0
67	197	दूध की डेरी (बड़ी)	1000	2000
68	198	गैस सर्विस या गैस गोदाम	4000	10000
69	199	फर्शी कांटा या धर्म कांटा	400	2000
70	200	कमीशन एजेन्ट या ट्रांसपोर्ट एजेन्ट	1000	2000
71	201	स्कूटर, मोटर साईकिल, मोपेड एजेन्सी	2000	4000
72	202	कार ट्रैक्टर, थ्री व्हीलर एजेन्सी	3000	6000
73	203	बस, ट्रक आदि की बाडी बनाना	1000	2000
74	204	लोहे के गेट, जाली या ग्रिल बनाना	500	1000
75	205	अंग्रेजी / देशी शराब की दुकान	3000	10000
76	206	बीयर की दुकान	3000	10000
77	207	अफीम, गांजा, भांग, ताड़ी, डोडे-पोस्त की दुकान	500	2000
78	208	बैंकट हाल / लाजिंग हाल	3000	10000
79	209	भूसा या चारे की टाल	500	500
80	210	शरीर, संर्वधन केन्द्र	500	500
81	211	सार्वजनिक नर्सरी	500	500
82	212	मुर्गी फार्म	500	1000
83	213	सीमेन्ट, कंक्रीट की जाली, पिलर आदि बनाना	500	1000
84	214	पटाखे / आतिशबाजी बनाना या बेचना	500	2000
85	215	उपरोक्त के अतिरिक्त कोई व्यवसाय या दुकान (छोटी)	400	800
86	216	उपरोक्त के अतिरिक्त कोई व्यवसाय या दुकान (बड़ी)	1000	2000

छायाप्रति प्रमाणित
12.12.2024
अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत गाजियाबाद।

मंजीत सिंह,
आयुक्त,
मेरठ मण्डल, मेरठ।

1	2	3	4	5
			रु0	रु0
42	172	सर्विस स्टेशन अथवा वर्कशाप	1000	2000
43	173	घड़ी या रेडियो की दुकान	400	400
44	174	टेलीविजन बेचने की दुकान	800	1500
45	175	टेलीविजन आदि मरम्मत की दुकान	300	300
46	176	लोहे की कतरन आदि का भण्डारण	500	1000
47	177	फल, सब्जी आदि की दुकान	400	400
48	178	कपड़ा सिलाई की दुकान	400	400
49	179	घी या तेल की दुकान	400	800
50	180	तेल का पेटी डीलर	500	1000
51	181	लकड़ी की टाल	400	800
52	182	टीन के बक्से, अलमारी, सन्दूक, टंकी, कुर्सी या मेज आदि की दुकान	600	1200
53	183	स्कूटर, मोटरसाईकिल आदि की मरम्मत की दुकान	250	500
54	184	रेडीमेड गारमेन्ट्स की दुकान	600	1200
55	185	बांस-बल्ली, रेत, रोड़ी, बदरपुर आदि की दुकान	500	1000
56	186	सस्ते गल्ले की दुकान	400	800
57	187	बिजली मोटर, पंखे, बल्ब, तार आदि समस्त बिजली सम्बन्धी सामान की दुकान	500	1000
58	188	अंडा आदि बेचने की दुकान	400	400
59	189	गैस चूल्हा, पैट्रोमैक्स, स्टोव आदि बेचने या मरमत की दुकान	400	400
60	190	चूड़ियों की दुकान	300	500
61	191	चश्मों की दुकान	400	800
62	192	दूध कार्य (मिल्क वेंडर)	300	0.00
63	193	मावा बनाने का कार्य करना	500	1000
64	194	क्रीम निकालना	500	1000
65	195	दूध से पनीर बनाना	1500	3000
66	196	दूध की डेरी (छोटी)	400	800

छाया प्रति प्रमाणित
12.12.2024
अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत गाजियाबाद।

1	2	3	4	5
			रु0	रु0
7	138	हलवाई/मिठाई, खाण्ड, बूरा, बताशे की दुकान	500	1000
8	139	चाय या पान, बीड़ी, सिगरेट, की दुकान	100	100
9	140	ढाबा, रोटी बनाने की दुकान	400	800
10	141	होटल एवं रेस्टोरेन्ट आदि	500	1000
11	142	बेकरी की दुकान	600	1200
12	143	ठण्डे पेय/कोल्ड ड्रिंक्स की दुकान	400	800
13	144	हेयर कटिंग की दुकान	250	500
14	145	ब्यूटी पार्लर	400	800
15	146	पुस्तक, स्टेशनरी आदि की दुकान	400	800
16	147	दवाई की दुकान	400	800
17	148	हकीम, वैद्य या डाक्टरी की दुकान	400	800
18	149	नार्सिंग होम या प्रसूति गृह	500	1000
19	150	जूते की दुकान	300	600
20	151	आढ़त की दुकान	500	1000
21	152	अनाज, खल, चूरी, दाने की दुकान (10 कुन्तल तक)	400	800
22	152-ए	अनाज, खल, चूरी, दाने की दुकान (10 कुन्तल से अधिक)	500	1000
23	153	ईमारती लोहे के सामान की दुकान (छोटी)	400	800
24	154	ईमारती लोहे के सामान की दुकान (छोटी)	500	1000
25	155	ईमारती लकडी की दुकान	500	1000
26	156	स्वर्णकार/सोने, चांदी के आभूषण की दुकान	500	1000
27	157	कृषि सम्बन्धी मशीनरी की दुकान	400	800
28	158	साईकिल मरम्मत की दुकान	250	250
29	159	मशीनरी/मिट्टी तेल या चिकनाई की दुकान	400	800
30	160	फोटोग्राफर/फोटो स्टूडियो की दुकान	400	800
31	161	सीमेन्ट या खाद की दुकान	500	1000
32	162	कीटनाशक दवाइयों की दुकान	400	800
33	163	नल, ट्यूबवैल आदि की बोरिंग करना	400	800
34	164	इंजन, ट्रैक्टर, मशीनरी आदि मरम्मत करना	400	800
35	165	चटाई, मुड्ढे आदि बनाना या बेचना	500	1000
36	166	बीज की दुकान	400	800
37	167	कोयले की डिपो	800	1500
38	168	टैन्ट, क्राकरी आदि की दुकान	500	1000
39	169	फर्नीचर की दुकान	500	1000
40	170	बैण्ड-बाजा की दुकान	300	600
41	171	खड्डी (हस्तचालित प्रत्येक)	400	400

छायाप्रति प्रमाणित
12.12.2024
अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत गाजियाबाद।

रजिस्टर्ड नं०--एन०डी०-4
लाइसेन्स सं०-डब्लू०पी०-41
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

इलाहाबाद, शनिवार, 7 सितम्बर, 2013 ई० (भाद्र 16, 1935 शक संवत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, खण्ड-क—नगरपालिका परिषद, खण्ड-ख—नगर पंचायत, खण्ड-ग—निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड-घ—जिला पंचायत।

खण्ड-घ—जिला पंचायत

13 अगस्त, 2013 ई०

सं0 1267/23-24/2012-14—उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 239 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला पंचायत, गाजियाबाद ने जनपद गाजियाबाद के ग्रामीण क्षेत्रान्तर्गत कार्यरत समस्त प्रकार के कारखानों, व्यवसायों तथा दुकानात् आदि को नियन्त्रित एवं विनियमित करने हेतु उपविधियां बनायी हैं, जो विज्ञप्ति संख्या 1015/23-47/2002-04, दिनांक 20 सितम्बर, 2004 द्वारा स्वीकृत होकर उत्तर प्रदेश शासकीय गजट दिनांक 23 अक्टूबर, 2004 में प्रकाशित होकर तथा विज्ञप्ति संख्या 1409/23-47/2002-04, दिनांक 26 सितम्बर, 2011 द्वारा संशोधित होकर उत्तर प्रदेश शासकीय गजट दिनांक 15 अक्टूबर, 2011 में प्रकाशित होकर जनपद गाजियाबाद के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी हैं। जिला पंचायत गाजियाबाद ने उक्त उपविधियों की धारा 44 के अन्तर्गत दी गई सूची में क्रमांक 132 से लेकर 216 तक अधोलिखित व्यवसायों के लाईसेंस शुल्क/नवीनीकरण शुल्क की दरों को निम्नवत् संशोधित करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है, जिनकी मैं, मंजीत सिंह, आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ उक्त अधिनियम की धारा 242(2) के अन्तर्गत पुष्टि करता हूं। जो शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी मानी जायेंगी।

क्र0 सं0	उपविधि क्रमांक	मद/व्यवसाय का नाम	वर्तमान दरें	संशोधित दरें
1	2	3	4	5
			रु0	रु0
1	132	कपडे की दुकान	400	800
2	133	कपडा धोने की दुकान	300	600
3	134	परचून की दुकान	200	200
4	135	किराना की दुकान	400	800
5	136	बिसातखाने की दुकान	400	400
6	137	बर्तनों की दुकान	400	800

छाया प्रति प्रमाणित
12.12.2024
अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत गाजियाबाद।

10—कोई व्यक्ति, फर्म, कम्पनी आदि कोई ऐसी सूचना नहीं देंगे जो असत्य हो या इन उपविधियों से सम्बन्धित कोई ऐसी सूचना जिनका अध्यक्ष, अपर मुख्य अधिकारी, कार्य अधिकारी, कर अधिकारी तथा जिला पंचायत का जिनकी नियुक्ति इस कार्य के लिए की गयी हो, मांगे जाने पर देने से इनकार नहीं करेंगे।

11—भट्ठे की ईंटों पर बनाने का वर्ष तथा भट्ठा या फर्म का नाम, उसका चिन्ह या ट्रेडमार्क अंकित करना अनिवार्य होगा।

12—ईंट भट्ठा, भट्ठी, सुर्खी, पंजावा मालिक यदि लाइसेन्स अधिकारी के किसी आदेश का पालन न करें तो उसके विरुद्ध धारा 133 सी0आर0पी0सी0 के अधीन कार्यवाही जिला प्रशासन द्वारा की जायेगी।

13—01 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक नवीनीकरण करने पर रु0 2,000.00 का विलम्ब शुल्क जमा करना होगा। उसके उपरान्त न लेने पर भट्ठे मालिक के विरुद्ध चालान की कार्यवाही की जायेगी।

14—उपरोक्त उपविधि के साथ-साथ विज्ञप्ति संख्या 1430/21-1096-81-84, दिनांक 31 अगस्त, 1990 में निहित लाइसेंस शुल्क के स्थान पर नियम संशोधन के साथ शासकीय गजट में प्रकाशन के दिनांक से लागू मानी जायेगी।

15—ईंट भट्ठा, भट्ठी, टाइल्स, खपरैल, चूना व सुर्खी भट्ठी आदि का इकाइयों को प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के आदेशों का पालन करना होगा।

16—इन उपविधियों के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क की देनदारी के विषय में यदि किसी व्यक्ति पर किसी वर्ष या उसके किसी भाग अथवा पूर्वगामी वर्षों की लाइसेंस शुल्क देय है तो उसकी वसूली हेतु अधिनियम के चैप्टर 8 की 147-160 के प्राविधानों के अनुसार यथास्थिति कार्यवाही की जायेगी।

17—लाइसेन्स धारी को एक निरीक्षण पंजिका रखनी अनिवार्य होगी, जो क्षेत्र के कर निरीक्षक से अभिप्रमाणित हो।

18—इन उपविधियों की एक प्रति लाइसेन्सधारी का निर्गत करते समय मांगने पर निःशुल्क दी जायेगी। अनुज्ञा-पत्र/लाइसेंस के प्रारूप को इकाई के मुख्य भाग पर लगाकर प्रदर्शित करेगा।

दण्ड

जिला पंचायत, हापुड़, उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथा संशोधित) की धारा 240 के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों को प्रयोग करते हुये निर्देश देती है, कोई भी व्यक्ति, कम्पनी, पार्टनरशिप, फर्म या संस्था इन उपविधियों का या उपविधि के अंश का उल्लंघन करेगा/करेगी, वह अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा जो रु0 1,000.00 (रु0 एक हजार) तक हो सकेगा और जब ऐसा उल्लंघन जारी रहे तो अतिरिक्त अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा जो प्रथम दोष सिद्धि के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिवस के लिये जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि उसमें अपराधी अपराध करता रहा है रु0 50.00 (रु0 पचास) तक हो सकेगा अथवा यदि अर्थदण्ड का भुगतान न किया जाये तो कारावास से दण्डनीय होगा जो तीन मास तक का हो सकेगा।

जिला पंचायत, गाजियाबाद

12 जुलाई, 2019 ई0

सं0 2195/23-223/1996-98—उ0प्र0 क्षेत्र समिति तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथा संशोधित) की धारा 239 (2) के अन्तर्गत में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला पंचायत, गाजियाबाद द्वारा जनपद गाजियाबाद के ग्रामीण क्षेत्रों में ईंट भट्ठा, टाइल्स, चापरा, चूना भट्ठी, सुर्खी का व्यापार करने वाले व्यक्तियों को नियंत्रित एवं विनियमित करने के उद्देश्य से बनायी गयी उपविधि को एतद्द्वारा सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है, जिसकी मैं, अनीता सी0 मेश्राम, आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ उक्त अधिनियम की धारा 242(2) के अन्तर्गत पुष्टि करती हूँ, जो शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी।

12.12.2024

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत गाजियाबाद।

उपनियम की धारा-8 (अ), (ब) एवं धारा-13 में संशोधन निम्नवत् है

क्र०सं०	उपविधि संख्या	प्रचलित दरें	प्रस्तावित संशोधन दरें
1	उपविधि संख्या-8 (अ)	रु0 5,000.00 वार्षिक	रु0 10,000.00 वार्षिक
	(ब)	रु0 2,000.00 वार्षिक	रु0 4,000.00 वार्षिक
2	उपविधि संख्या-13	01 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक नवीनीकरण कराने पर अंकन रु0 1,000.00 विलम्ब शुल्क जमा करना होगा, 01 नवम्बर से 31 दिसम्बर तक लाइसेंस शुल्क का 50 प्रतिशत शुल्क देय होगा इसके उपरान्त लाइसेंस न लेने पर भट्ठा मालिक के विरुद्ध मा0 न्यायालय में चालान की कार्यवाही की जायेगी।	01 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक नवीनीकरण कराने पर अंकन रु0 2,000.00 विलम्ब शुल्क जमा करना होगा, 01 नवम्बर से 31 दिसम्बर तक लाइसेंस शुल्क का 50 प्रतिशत शुल्क देय होगा इसके उपरान्त लाइसेंस न लेने पर भट्ठा मालिक के विरुद्ध मा0 न्यायालय में चालान की कार्यवाही की जायेगी।

अनीता सी0 मेश्राम,
आयुक्त,
मेरठ मण्डल, मेरठ।

द्वारा प्रतिप्रमाणित
12.12.2019
अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत गाजियाबाद।

पी0एस0यू0पी0–19 हिन्दी गजट–भाग-3–2019 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।